



2026:AHC:168879

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 27262/2026

शंभूनाथ

..आवेदक(कों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

....प्रतिवादी(यों)

आवेदक(कों) के अधिवक्ता : सत्य प्रकाश सिंह

प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

- हमने आवेदक के अधिवक्ता श्री सत्य प्रकाश सिंह की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अवधेश प्रताप सिंह और राज्य की ओर से विद्वान एजीए-1 डॉ. एस.बी. मौर्य को सुना।
- यह जमानत याचिका मामले की सुनवाई के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए मामला अपराध संख्या 42/2026, धारा 103(1), 304, 317(2) बीएनएस, पुलिस स्टेशन पारसरामपुर, जिला बस्ती में दायर की गई है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इस मामले की एफआईआर शिकायतकर्ता की मां की हत्या के संबंध में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई थी, लेकिन दो महीने बाद शिकायतकर्ता ने बहुत ही लापरवाही से संदेह के आधार पर आवेदक का नाम उजागर किया और केवल संदेह के आधार पर ही आवेदक को इस मामले में आरोपी बनाया गया है।
- हालांकि, उन्होंने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष के अनुसार आवेदक की गिरफ्तारी के बाद, उसके बताए अनुसार एक छोटा चाकू बरामद किया गया था, जिसका कथित तौर पर उसने इस अपराध को अंजाम देने में इस्तेमाल किया था, और उसके पास से 1700 रुपये भी बरामद किए गए थे, जो उसने मृतक की नाक की पिन् बेचकर प्राप्त किए थे, लेकिन इन सबूतों के अलावा उसके खिलाफ अभिलेख में कोई ठोस सबूत नहीं है।
- उन्होंने आगे कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मृतक की नाक की नथनी बेचकर कथित तौर पर बरामद किए गए 1700 रुपये आवेदक को प्राप्त हुए थे। उन्होंने यह भी कहा कि उपरोक्त साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक ने मृतक की हत्या की है।
- उन्होंने आगे कहा कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 20.04.2026 से जेल में है।
- इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन आवेदक के विद्वान वकील द्वारा तथ्यों के आधार पर दिए गए तर्क का खंडन नहीं कर सके।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी है और मामले के अभिलेखों का अध्ययन किया है।
9. यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और यह दर्शाता है कि दो महीने बाद, मामले के मुखबिर द्वारा उठाए गए संदेह के आधार पर, आवेदक को इस मामले में आरोपी बनाया गया है।
10. इसके अलावा, अभियोजन पक्ष के अनुसार, आवेदक के बताने पर भी एक छोटा चाकू और 1700 रुपये बरामद किए गए, जो उसने मृतक की नाक की पिन बेचकर प्राप्त किए थे। इन साक्ष्यों और पुलिस के समक्ष आवेदक के इकबालिया बयान के अलावा उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। साथ ही, कथित तौर पर बरामद चाकू को भी इस अपराध से नहीं जोड़ा जा सका है।
11. इस न्यायालय के मत के अनुसार, बिना किसी पुख्ता सबूत के, केवल उपरोक्त बरामदगी के आधार पर प्रथम दृष्टया यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक ने मृतक की हत्या की है।
12. इस न्यायालय को आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए इस तर्क में दम नज़र आता है कि वर्तमान मामले में ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जो आवेदक को इस अपराध से जोड़ सके।
13. इसके अलावा, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 20.04.2026 से जेल में है।
14. अतः, ऊपर बताए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।
15. इसलिए, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।
16. आवेदक - **शंभूनाथ** को उपरोक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-
 - (i) आवेदक को निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।
 - (ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
 - (iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।
17. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।
18. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे की सुनवाई के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

12 अगस्त, 2026

एके पांडे

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।